संख्याः 1980 /अड़तीस-7-2013-165-नरेगा/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग—7 लखनऊः दिनांकः 11 जून 2013

विषयः— **क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, जो खण्ड विकास अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, के कार्यकम अधिकारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की धारा—15(1) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो खण्ड विकास अधिकारी से निम्न स्तर का न हो को कार्यकम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। वर्तमान में प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के कारण मनरेगा का कियान्वयन एवं अनुश्रवण समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2— अतः खण्ड विकास अधिकारियों की कमी एवं योजना की प्रगति पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचोरापरान्त यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला कार्यकम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा किसी भी जनपद स्तरीय राजकीय अधिकारी, जो खण्ड विकास अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, को कार्यकम अधिकारी नामित करेंगे। तद्नुसार समस्त जिलाधिकारियों को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

3— इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त अधिसूचनाओं/शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः— 1980 (1)/अड़तीस—7—2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उत्तर प्रदेश।
6. वेबमास्टर, ग्राम्य विकास विभाग।
7. गार्डबुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।